शीर्ष प्राथमिकता / अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 2222 / सेक–2–पांच–14–7(95) / 2014

प्रेषक,

मधु जोशी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 8 जून, 2014

विषयः– *"Guidelines and Examination Proforma for medico legal cases of victims of Sexual Violence"* के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त श्री लव वर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–जेड–28015 / 143 / 2013–एच दिनांक 17.04.2014 एवं उसके साथ संलग्न ***"Guidelines and Examination Proforma for medico legal cases of victims of Sexual Violence"*** के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश की संलग्न मूल प्रति (वापसी अपेक्षित) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त दिशा–निर्देशों, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की बेवसाइट पर mohfw.nic.in/showfile.php?lid=2737 वेबपेज पर उपलब्ध है, को समस्त राजकीय चिकित्सालयों के प्रभारी अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्साधिकारियों के माध्यम से समस्त निजी चिकित्सालयों की जानकारी में ला दिया जाय तथा इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु अपने स्तर से प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका को निर्देशित करने तथा उक्त दिशा निर्देशों को विभाग की वेबासाइट पर भी अपलोड कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोक्त

भवदीया,

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–2222 (1) / सेक–2–पांच–14, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका जिला चिकित्सालय / संयुक्त जिला चिकित्सालय / जिला महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश एवं भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य वं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन्स विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मधु जोशी

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।

No. 3583 JMS/GI/2014

लव वर्मा
सचिव
LOV VERMA
Secretary

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Government of India
Department of Health and Family Welfare
Ministry of Health and Family Welfare

सत्यमेव जयते

D.O.No.Z-28015/143/2013-H
17th April, 2014

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

Dear Jawed

Please find enclosed a copy of the document entitled "Guidelines and Examination Proforma for Medico legal cases of victims of Sexual Violence," drawn up this Ministry in consultation with a host of medical and legal experts in the field of sexual violence, and administrative experts. Through these Guidelines, we aim to bring about a certain degree of uniformity in approaching, treating and documenting cases of sexual violence, especially rape. The purpose of uniformity is to set to the course for more sensitive and humane approach to victims of sexual assault / rape when they arrive in hospitals, their effective treatment at the hospitals and proper recording and documentation of medical history and facts by the treating doctor. All three components are important but the last one should ensure a higher conviction rate in such cases.

Under the amended criminal law, sexual assault survivors and victims cannot be denied treatment in a hospital – whether private or government. It is thus a mandatory obligation. If not fulfilled it could set the law in motion against the offending hospitals and doctors with likely penal consequences. The matter thus warrants the attention it deserves. Through the document (enclosed) an effort has been made to ensure that both government / private hospitals work in concert to treat victims of sexual assault on the same footing. The evidence collection and free medical treatment are concomitants that are sine qua non, to save the victim and to ensure success in conviction of the perpetrators of such violence.

I have appealed to private hospitals that they too should treat sexual assault survivors / victims free of charge as a part of their Corporate Social Responsibility. You might like to reiterate the appeal to lend weight to it.

May I request you to bring the enclosed Guidelines to the attention of all hospitals in your State for adoption ? Additional copies of the Guidelines can be downloaded from this Ministry's website.

With warm regards,

Yours sincerely,

(Lov Verma)

Encl. as above

Shri Jawed Usmani
Chief Secretary
Govt of Uttar Pradesh
Lal Bahadur Shastri Bhawan
UP Sachivalaya
Lucknow – 226001

(डॉ० एस० शर्मा)
सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग
उ०प्र० शासन

(डा० काजल)
विशेष सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग
उ० प्र० शासन

कमरा नं 156, ए-स्कंध, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Room No. 156, A-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Tele : (O) 011-23061863, Fax : 011-23061252, E-mail : secyhfw@gmail.com